

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक - एफ4/याता./लेखा/16/328

दिनांक:- 18.7.16

मुख्य प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम
-----आगर

विषय:- बस सारथी योजना 2016 के संबंध में ।

परिवहन विभाग की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन यथा वाहन बेड का अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक किमी. संचालित कर आय में वृद्धि करने के लिए इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ 4/मु./याता./लेखा/2015/1551 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा बस सारथी योजना लागू की गयी ।

बस सारथियों की माँग एवं मुख्यालय में यातायात विभाग की बैठक दिनांक 12.7.2016 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त कार्यालय आदेश संख्या 1551 दिनांक 22.12.2015 के बिन्दु संख्या 5.2 में बस सारथियों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(सोहनलाल धानका)

कार्यकारी निदेशक(यातायात)

दिनांक:- 18.7.16

क्रमांक - एफ4/याता./लेखा/16/328

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक रापनि मु.जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष-----रापनि मु.जयपुर
3. उपमहा प्रबंधक(आईटी) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वर्णित पत्र वेबसाईट पर उपलब्ध करावे एवं संबंधितों को ई-मेल प्रेषित करें ।
4. उपमहा प्रबंधक(.....)रापनि मु.जयपुर
5. कार्यकारी प्रबंधक(.....)रापनि मु.जयपुर
6. आदेश पत्रावली

कार्यकारी निदेशक(यातायात)